प्रेस नोट ***15/05/2025***

एक जिलाबदर अपराधी गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 15.05.2025 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सरया रघुनाथपुर गेट के पास से एक जिलाबदर अपराधी अभिषेक उर्फ शेरू पुत्र रामकरन निवासी बढुआगोदाम थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरायलखन्सी में मु0अ0सं0 206/25 धारा 10 गुण्डा नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. अभिषेक उर्फ शेरू पुत्र रामकरन निवासी बढुआगोदाम थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 295/22 धारा 120बी, 302, 34 भादवि व 3(2)(v) थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 43/23 धारा 504,506 भादवि थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
3. मु0अ0सं0 339/23 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
4. मु0अ0सं0 206/25 धारा 10 गुण्डा नि0 अधि0 थाना सरायलन्सी जनपद मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
2. हे0का0 संतोष कुमार थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
3. का0 जयप्रकाश द्विवेदी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.05.2025 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सिढ्ढा अहिलादपुर पुलिस के पास से एक शातिर अभियुक्त हिटलर राम पुत्र अनरीत राम निवासी मझवारा थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद नाजायज तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 154/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. हिटलर राम पुत्र अनरीत राम निवासी मझवारा थाना घोसी जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. एक अदद नाजायज तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।